

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
[भर्ती प्रकोष्ठ]
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
[[RECRUITMENT CELL]]

सं.मि.2-24/2019-स्था. (भर्ती)
No.F.2-24/2019-Estt.(RCT)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29
Ansari Nagar, New Delhi-29
दिनांक:

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

22 FEB 2023

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में कनिष्ठ भंडार अधिकारी के पद पर पदोन्नति।
Subject: Promotion to the post of Junior Stores Officer at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 24.01.2023 को हुई कनिष्ठ भंडार अधिकारी के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति बैठक की सिफारिश के परिणाम स्वरूप और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार, निम्नलिखित स्टोर कीपर को पे मेट्रिक्स के लेवल-06 में कनिष्ठ भंडार अधिकारी के पद का पदभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee in its meeting held on 24th January 2023 and its acceptance by the Competent Authority, the following Store Keeper is promoted to the post of Junior Stores Officer in the Level-06 of the pay matrix from the date he assumes the charge to the post of Junior Stores Officer.

क्र.सं./ Sr. No.	नाम/ Name	Category	Considered against the category	विभाग / अनुभाग Department / Section
1.	Sh. Krishna Murari Singh	Gen.	UR	Hospital Store

हालांकि, उनकी कनिष्ठ भंडार अधिकारी के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि अर्थात् 24.01.2023 से प्रभावी होगी।

However, his seniority in the post of Junior Stores Officer will be effective from the date of Departmental Promotion Committee i.e. 24.01.2023.

वह कनिष्ठ भंडार अधिकारी का पदभार ग्रहण करने की तिथि से, दिल्ली/नई दिल्ली/ बडसा, झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी., गाज़ियाबाद और वर्तमान में बल्लभगढ़ में स्थित रुशल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

He will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of their status stationed at Delhi/New Delhi/NDDTC, Ghaziabad/Outreach OPD, Jhajjar, and NCI Jhajjar, Haryana and in the rural center presently located at Ballabgarh (Haryana) and at any other centre opened by the Institute in future, from the date they assume the charge to the post of Junior Stores Officer.

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वह इस कार्यालय आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर.22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से निर्धारित करने का विकल्प चुने बशर्ते उन्हें आश्रित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्रित वृत्ति प्रगति योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया हो।

He is advised to exercise his option for fixation of his pay under FR-22(I) either from the date of his promotion to the post or from the date of drawl of his next increment in the present post within one month from the date of issue of this office order, provided he have not been granted financial up-gradation under ACP/MACP Scheme.

उनकी सेवाएं वर्तमान में बल्लभगढ़ (हरियाणा) में स्थित ग्रामीण परियोजना, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र (गाज़ियाबाद), एन.सी.आई, बाडसा, झज्जर तथा संस्थान द्वारा भविष्य में खोले जाने वाले किसी अन्य केंद्र में स्थानांतरणीय हैं। उन्हें शिफ्ट में सेवा देने के लिए भी कहा जा सकता है।

His services are transferable to the other centre facilities presently located at Ballabgarh (haryana), National drugs Dependency Treatment Centre (Ghaziabad), National Cancer Institute, Badsa, Jhajjar and at any other centre/facilities which may come up in future. He can be asked to perform duties in shifts also.

कनिष्ठ भंडार अधिकारी के पद पर पदोन्नति का कार्यालय आदेश SLP No. 30621/2011 के परिणाम और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अन्य संबंधित मामले या इस सम्बन्ध में DoPT द्वारा जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

The office order of promotion to the post of Junior Stores Officer is subject to outcome of the SLP No. 30621/2011 and other connecting matter pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

वह दो वर्ष की अवधि के लिए परिबीक्षा पर रहेंगे। परिबीक्षा अवधि के दौरान उन्हें संतोषजनक सेवाएँ प्रदान करना अपेक्षित है जिसमें असफल रहने पर उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिये अथवा बिना कोई कारण बताए प्रत्यावर्तित कर दी जाएंगी।

He will be on probation for a period of two years. During the period of probation, he will be required to put in satisfactory service failing which his services will be liable to be reverted at any time without any notice or reason being assigned for the same.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and conditions of his service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.


[राजेंदर सिंह / RAJENDER SINGH]

प्रशासनिक अधिकारी / ADMINISTRATIVE OFFICER

श्री कृष्ण मुरारी सिंह/Sh. Krishna Murari Singh, Store Keeper, Hospital Store

द्वारा: उनके संबन्धित ऑफिसर इनचार्ज

Through:- Officer-in-Charge

प्रतिलिपि/Copy to:-

- 1) चिकित्सा अधीक्षक (अस्पताल)/Medical Superintendent (Hospital)
- 2) प्रभारी आचार्य, भंडार/The Prof. In-Charge, Stores
- 3) निदेशक/अपर निदेशक (प्रशा.)/उप सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव/व्यक्तिगत सहायक/PPS/PS/PA to Director/ADA/DS/CAO
- 4) सहायक भंडार अधिकारी (अस्पताल)
Assistant Stores Officer (Hospital)
- 5) प्रशासनिक अधिकारी (अस्पताल)
Administrative Officer (Hospital)
- 6) स्थापना अनुभाग (अस्पताल)
Establishment Section (Hospital)
- 7) लेखा अनुभाग-II एवं III
Accounts Section II & III
- 8) सामान्य अनुभाग/सम्पदा अनुभाग/विधि प्रकोष्ठ/सामान्य भविष्य निधि अनुभाग
General Section/Estate Section/Legal Cell/GPF Section
- 9) सतर्कता प्रकोष्ठ/वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकोष्ठ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला प्रकोष्ठ/इ.एच.एस प्रकोष्ठ
Vigilance Cell/ACR's Cell /SC/ST/OBC/Women Cell/EHS Cell
- 10) संरक्षण मिसिल/Guard File
Professor-in-charge Computer Facility-with the request to upload the same on Institute website